भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 968

दिनांक 13 दिसंबर, 2022 को उत्तरार्थ

विषय: कृषि क्षेत्र में मूल्यवर्धन

968. श्रीमती शारदा अनिल पटेल:

श्री मितेष पटेल (बकाभाई):

श्री जगन्नाथ सरकार:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पांच वर्षों के दौरान कृषि क्षेत्र में कितना मूल्यवर्धन हुआ है; और

(ख) सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में अधिक मूल्यवर्धन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) से मिली सूचना के अनुसार, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र सहित सभी क्षेत्रों के लिए सकल मूल्यवर्धन (जीवीए) से संबंधित डेटा जारी करता है। वर्ष 2020-21 की समाप्त तक पिछले 5 वर्षों के दौरान खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र लगभग 8.38 प्रतिशत (वर्ष 2011-12 की मूल्यों पर) की औसत वार्षिक वृद्धि दर (एएजीआर) से बढ़ रहा है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (एफपीआई) द्वारा वर्षवार सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) (वर्ष 2011-12 की स्थिर कीमतों पर) नीचे दिया गया है:

(मूल्य लाख करोड़ रुपये में)

वर्ष	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**
सकल मूल्यवर्धन	1.79	1.93	2.36	2.26	2.37

स्रोत: राष्ट्रीय लेखा प्रभाग, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय

(ख): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) से प्राप्त सूचना के अनुसार, फसल कटाई के बाद के बुनियादी ढांचे और प्रसंस्करण सुविधाओं के निर्माण की दिशा में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की प्रमुख पहलें निम्नलिखित हैं:

(1.) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय खेत से खुदरा बिक्री केंद्रों तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला का प्रबंधन करके आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण व संरक्षण बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए "प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई)" नामक केंद्रीय क्षेत्र की अंब्रेला स्कीम का कार्यान्वयन कर रहा है। पीएमकेएसवाई के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सात घटक हैं, जो इस प्रकार हैं- (i) एकीकृत शीत श्रृंखला एवं मूल्यवर्धन अवसंरचना, (ii) कृषि प्रसंस्करण कलस्टर अवसंरचना, (iii) खाद्य प्रसंस्करण एवं

संरक्षण क्षमताओं का निर्माण/विस्तार, (iv) खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना, (v) मानव संसाधन व अनुसंधान एवं विकास संस्थान और (vi) ऑपरेशन ग्रीन्स। पीएमकेएसवाई के पहले भाग के रूप में मेगा फूड पार्क तथा पार्श्वांत योजनाओं के निर्माण को बंद कर दिया गया है।

(2.) मंत्रालय देश में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की स्थापना/उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने हेतु "पीएम सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम निर्माण (पीएमएफएमई) योजना" नामक केंद्र प्रायोजित योजना का भी कार्यान्वयन कर रहा है। यह योजना 10,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक की पांच वर्षों की अवधि के लिए प्रचालित है। यह योजना एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) के दृष्टिकोण को अपनाती है। यह मूल्य श्रृंखला विकास और सहायक बुनियादी ढांचे की सुव्यवस्था के लिए रूपरेखा प्रदान करती है।

(3.) मंत्रालय वित्त वर्ष 2021-22 से 2026-27 के दौरान 10,900 करोड़ रूपए के परिव्यय के साथ दिनांक 31.3.2021 को सरकार द्वारा अनुमोदित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) का भी कार्यान्वयन कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य वैश्विक खाद्य निर्माण हस्तियों के निर्माण में सहायता करना; विश्व स्तर पर खाद्य उत्पादों के भारतीय ब्रांडों को बढ़ावा देना; गैर-कृषि कार्यों के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना; कृषि उपज के लिए लाभकारी मूल्य व किसानों के लिए उच्च आय सुनिश्चित करना है।

*****